संख्या : 31/2016/314/छप्पन-2016-47/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2016

विषय :राजकीय वायुयान हॉकर-900 एक्स0पी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 तथा सुपर किंग एयर बी-200 वी0टी0 यू0पी0आर0 के लिए क्रमश: **Hydraulic Filter, part no. 51143 Qty.02** एवं **Brake Assy. Non-Asbestos VPN2-1576, part no.101-380096-1 Qty.01** क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 993/ना0उ0नि0/इंजी/बी-1-2015(पी), दिनांक 16-2-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वायुयान हॉकर-900 एक्सपी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 एवं सुपर किंग एयर बी-200 वी0टी0 यू0पी0आर0 के लिए क्रमश: **Hydraulic Filter, part no. 51143 Qty.02** एवं **Brake Assy. Non-Asbestos VPN2-1576, part no.101-380096-1 Qty.01** निर्माता फर्म मेसर्स हॉकर बीचक्राफ्ट कम्पनी यू0एस0ए0 के भारत में आपूर्ति हेतु एक मात्र अधिकृत फर्म मैसर्स एयरो एवियेशन सर्विसेज एफ0जेड0ई0 शारजहां से कोटेशन प्राप्त किया गया। प्राप्त कोटेशन संख्या' क्यू0 05905 दिनांक 9.12.2015 के आधार पर इंगित यंत्रों का मूल्य यू0एस0 डॉलर 38105.02 मात्र है, जोकि भारतीय मुद्रा में रूपये 70/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से बैंक चार्जेज सहित रूपये 26,67,351.00 (रूपये छब्बीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) होता है, की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अत: राज्यपाल महोदय वायुयान हॉकर-900 एक्सपी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 एवं सुपर किंग एयर बी-200 वी0टी0 यू0पी0आर0 के लिए क्रमश: **Hydraulic Filter, part no. 51143 Qty.02** एवं **Brake Assy. Non-Asbestos VPN2-1576, part no.101-380096-1 Qty.01** के कोटेशन के आधार पर क्रय करने हेतु रूपये 26,67,351.00 (रूपये छब्बीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान बीजक के आधार पर निर्माता कम्पनी को बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निर्माता फर्म से पुर्जो के प्राप्त होने पर स्वीकृत धनराशि का समायोजन तत्काल कर लिया जाय तथा समायोजन के पश्चात इसकी सूचना शासन को दी जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी। आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूजीगत-परिव्यय-आयोजनेत्तर -सामान्य-800-अन्य व्यय -04-हेलीकॉप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 31/2016/314(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।